

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या: 24/2018 एल.आर. एक्ट (हनुमानगढ)

1. रामकुमार पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. चेतनराम पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।


रेस्पोजेन्ट

अनुपस्थित: 1. श्री राजेन्द्र सिंह भास्कर – अभिभाषक अपीलान्ट
उपस्थित: 2. श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक: 25-02-2019

1. यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 22-01-2018 के विरुद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट संख्या 1 को दिनांक 6.7.1987 को तहसीलदार (भू.अ.) पीलीबंगा द्वारा पट्टा क्रमांक 183 बडोपल बारानी के खसरा संख्या 1196 की 20 बीधा 7 बिस्वा एव अपीलान्ट संख्या 2 को दिनांक 6.7.1987 पट्टा क्रमांक 197 बडोपल बारानी के खसरा संख्या 1195 की 25 बीधा 2 बिस्वा भूमि का आराजी काश्त हेतु आवंटन किया गया था। इस प्रकार अपीलान्टगण को 45 बीधा 9 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। इस आदेश के विरुद्ध तहसीलदार पीलीबंगा ने उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के संमक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर उक्त भूमि को विलोपित करने का किया जिस पर


संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ने रेस्पोजेन्ट का धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नं. 2980/1195/8.855, 2981 /1196/2.530 हैक्टेयर रकबा को निरस्त करने के आदेश दिये गये जिसके विरुद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. उक्त आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोजेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27.3.18 को दर्ज होकर विभिन्न चरणों से गुजरती हुई बहस हेतु मुकर्रर दिनांक 5.2.19 को अपीलार्थी एवं उसके अभिभाषक के अनुपस्थित रहने के दौरान बार-बार आवाजे लगवाई गई तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर राजकीय अभिभाषक की गुणावगुण पर बहस सुनी गई।
5. अभिभाषक अपीलान्ट्स से अपनी अपील मीमो पर अंकित किया कि अपीलान्ट संख्या 1 को दिनांक 6.7.1987 को तहसीलदार (भू.अ.) पीलीबंगा द्वारा पट्टा क्रमांक 183 बडोपल बारानी के खसरा संख्या 1196 की 20 बीधा 7 बिस्वा एव अपीलान्ट संख्या 2 को दिनांक 6.7.1987 पट्टा क्रमांक 197 बडोपल बारानी के खसरा संख्या 1195 की 25 बीधा 2 बिस्वा भूमि का आराजी काश्त हेतु आवंटन किया गया था। इस प्रकार अपीलान्टगण को 45 बीधा 9 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। इस आदेश के विरुद्ध तहसीलदार पीलीबंगा ने उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के संमक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर ग्राम बडोपल की जमाबंदी संवत् 2070-73 खता संख्या 95 चेतनराम पुत्र मनीराम 6.325 हैक्टर व रामकुमार पुत्र मनीराम 5.060 हैक्टर, खसरा संख्या 2980/1195/8.855, खसरा संख्या 2981/1196/2.530 हैक्टर खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि को विलोपित करने का किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ने रेस्पोजेन्ट का धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नं. 2980/1195/8.855, 2981 /1196/2.530 हैक्टेयर रकबा को निरस्त करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश किया एवं वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे।



संभागीय अध्यक्ष
बीकानेर

अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपनी अपील मीमो पर आगे अंकित किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया था, जिसमें केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त किए जाने के अधिकार है किसी व्यक्ति की भूमि को अथवा उसके आवंटन को निरस्त करने के अधिकार नहीं दिये गये हैं। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 22.1.18 खारिज फरमाया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल करने का भी अपील मीमो पर निवेदन किया गया है।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस कर कहा कि ग्राम बड़ोपल की जमाबन्दी सम्वत 2062 से 65 में खाता सं. 50 पर काल्पनिक रूप से दर्ज किया गया है। जो वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं. 95 पर दर्ज है। पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना रकबा रिकार्ड में दर्ज करने पर पटवारी के खिलाफ कार्यवाही चल रही है, बिना नामान्तकरण के सीधे ही पटवार परत में खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिये। समस्त हवाई कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22-01-2018 सही है, अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।
7. हमने राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावलियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है :-

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी अपील में मुख्य रूप से यह आधार लिया कि अपीलान्ट संख्या 1 को दिनांक 6.7.1987 को तहसीलदार (भू.अ.) पीलीबंगा द्वारा पट्टा क्रमांक 183 बड़ोपल बारानी के खसरा संख्या 1196 की 20 बीधा 7 बिस्वा एव अपीलान्ट संख्या 2 को दिनांक 6.7.1987 पट्टा क्रमांक 197 बड़ोपल बारानी के खसरा संख्या 1195 की 25 बीधा 2 बिस्वा भूमि का आराजी काश्त हेतु आवंटन किया गया था। अपीलान्टगण को 45 बीधा 9 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। जिसको निरस्त नहीं किया जा सकता।

न्यायालय के अनुसार जिस पटवारी द्वारा अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया वो किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज नहीं किया गया है, उस पटवारी के खिलाफ पुलिस थाना पीलीबंगा में


संभागीय अभ्युक्त
बीकानेर

मुकदमा दर्ज है तथा इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई, कमेटी की जांच में भी माना गया की पटवारी ने अपने स्तर पर बिना आधार के खाते कायम कर दिये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं मानते है। अतः बहस हेतु मुकर्रर दिनांक 5.2.19 से लेकर आज निर्णय लिखवाये जाने की दिनांक 25.02.2019 तक अपीलान्ट्स एवं उसके अभिभाषक के अनुपस्थित रहने से यह अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं गुणावगुण में भी खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22-01-2018 को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 25-02-2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।